(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 307–चार/1997 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–11–1997 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, प्रकरण कमांक 323/अपील/1996–97.

.....

घांसीराम आत्मज सिद्धनाथसिंह
निवासीग्राम हड़लाय कला
तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर

..... आवेदक

विरूद्ध

मानकुवंरबाई पति खुशीलाल
निवासी ग्राम पंच देहरिया तहसील शुजालपुर
जिला शाजापुर

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0वाजपेयी , अभिभाषक– आवेदक
श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक– अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/5/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–11–1997 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार अकोदिया द्वारा दिनांक 22–4–1997 को आदेश पारित कर उभयपक्ष के स्वत्व स्वामित्व की भूमि का बटवारा किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–6–1997 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–11–1997 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 54 संपत्ति संबंधी विधि संग्रह के अनुसार सिविल न्यायालय के बटवारे की डिक्री के आधार पर बटवारा या तो कलेक्टर को करना था अथवा कलेक्टर द्वारा नियुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी को करना था । नायब तहसीलदार को ऐसा बटवारा करने का अधिकार नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि फर्द बटवारे की नकल आवेदक को नहीं दी गई है और न ही फर्द बटवारे पर आपत्ति सुनी गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् व्यवहार न्यायालय के बटवारा आदेश के पालन में बटवारा आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिक्री के अनुसार 1/3 हिस्सा अनावेदिका को दिया गया है और आवेदक की ओर से ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि व्यवहार न्यायालय की डिक्री निरस्त हुई है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में

अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–11–1997 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर